[श्री सरजू पांडे]

इस बिल में आप आमूल परिवर्तन करें ताकि बड़े किसानों को लाभ न मिल कर छोटे किसानों को इसका लाभ मिल सके। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा बिल लाए ताकि बड़े किसानों को कर्जे पाने से रोका जा सके और छोटे किसानों की ज्यादा सहायता हो सके।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I have nothing more to add.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.45 hrs.

ARREST OF MEMBER

MR. CHAIRMAN: I have to inform the House that the Speaker has received the following communication dated the 30th July, 1975 from the Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, New Delhi:—

> "I have the honour to inform you that the Central Government found it their duty in exercise of the powers conferred by section 3(1) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, as amended by Ordinance No. 6 of 1975, to direct that Shrimati Gayatri Devi, Member, Lok Sabha, be detained with a view to preventing her from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange.

> Shrimati Gayatri Devi was accordingly taken into custody at 4.00 P. M. on 30th July, 1975, and is at present lodged in the Tihar Jail, Delhi."

PROVIDENT FUNDS (AMENDMENT) BILL

12.48 hrs.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): beg to move:

> "That the Bill further to amend the Provident Funds Act, 1925 be taken into consideration."

Rule 10 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 provides that if a pensioner, who immediately before his retirement was a member of Central Service Class I, wishes to accept any commercial employment before the expiry of two years from the date of his retirement, he should obtain the previous sanction of the President to such acceptance, and that no pension shall be payable to a pensioner who accepts a commercial employment without such sanction, in respect of any period for which he is so employed or such longer period as the President may direct. In the interests of purity of administration, it is proposed to impose similar restrictions, with suitable safeguards, in the case also of members of Central Civil Services Class I entitled to the benefits of a Contributory Provident Fund.

The salient features of the Bill are:

> (i) A Central Government officer shall not have any right to Government contribution made to his credit in a Contributory Provident Fund if he takes up commercial employment at any time before the expiry of two years from the date of his retirement without the permission of the Central Government.

> (ii) A Central Government retired officer shall apply in a prescribed application form for permission to take up commercial employment.

(iii) In granting or refusing permission to a retired Central Government officer for taking up any commercial employment, the Central Government shall have regard to the following factors; namely:—

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with Government;

(c) whether the officer while in service had any such dealings with the employer under whom he proposes to seek employment as might afford a reasonable basis for the suspicion that such officer had shown favours to such employer;

(d) any other relevant factors which may be prescribed.

(iv) Central Government shall grant permission subject to such conditions, if any, as may be deemed necessary or refuse permission for reasons to be recorded in writing in the order.

(v) Where the Central Government grants permission applied for, subject to any conditions or refuses permission, the applicant can make representation within thirty days of the receipt of the order against such condition or refusal. The Central Government shall make orders on the representation as it deems fit. If the Central Government does not cancel such order, the person making the representation shall be given an opportunity to show cause against the order proposed to be made on the representation

(vi) If within a period of sixty days of the date of receipt of an application seeking permission for taking up commercial employment, Government does not communicate any decision thereon to the retired Central Officer, it shall be deemed that permission applied for has been granted.

(vii) If a retired Central Government officer takes up any commercial employment within two years of retirement without Government permission or in violation of any condition of permission, he will not be entitled to such part of Government contribution as may be specified in the order or will be required to refund it if he has received payment thereof. In making such an order, Government shall take into consideration the following factors:—

(a) the financial circumstances of the officer concerned;

(b) the nature of and the emoluments from the commercial employment taken up by the officer concerned;

(c) such other relevant factors as may be prescribed; and will give opportunity to the officer of showing cause against it. If the officer does not refund Government contribution within a prescribed period, it shall be recovered as arrears of land revenue.

Sir, I am confident that the Bill will receive unanimous support of the House.

With these words, I move the Bill for the consideration of the House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Provident Funds Act, 1925 be taken into consideration.".

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : सभापति महोदय, यह बिल अच्छा है और मैं इस का समर्थन करना चाहता हूं।

[श्री स नू पांडे]

इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जो अफ़सर रिटायर होने के बाद सरकार की आज्ञा के बगैर प्राईवेट फर्मो में काम करेंगे, उन को उस पीरियड के लिए प्राविडेंट फण्ड और ग्रेचुटी नही दिये जायेंगे। वास्तव में यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था। सारे देश के लोगों को मालूम है कि सरकारी नौकरों के रिटायर होने के बाद बड़ी बड़ी प्राइवेट फर्में उन को नौकर रख लेती हैं। इनकम टैक्स, रेलवे और इण्डियन नेवी के बड़े अफसरो, और डिफेंस सेक्रेटरी तक, ने रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट फर्मो में काम किया है, और आज भी कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के डिफेंस आफिसर्ज रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट कम्पनियों में काम करते हैं और अपना व्यक्तिगत प्रभाव डाल कर उन कम्पनियों को तरह तरह की सुविधाये दिलाते हैं, जिस का नतीजा यह होता है कि ये कम्पनियां इन अफसरों के जरिये हर तरह के नाजायज और कानून के विरुद्ध काम भी करती रहती है।

मुझे मालूम हुआ है कि बडी बडी कम्पनियां दो तरह के लोगो को अपने यहा नौकर रखती है। कुछ बड़े प्रभावशाली नेताओं के लडकों और रिटायर्ड अफसरो को ये कम्पनियां अपने यहा नौकरी दे देती है। मुझे मालूम है कि हिन्दुस्तान लीवर और हरियाणा की जिन्दल कम्पनी ने तीन तीन रिटायर्ड अफसरों को अपने यहा नौकर रखा हुआ है और ये लोग उन कम्पनियो की हर तरह की गतिविधियो में मदद करते हैं। अगर फौज के बडे अफ़सर रिटायर हो कर प्राइवेट कम्पनियों में नौकरी करते हैं, तो यह देश के लिए बडी लज्जा की बात है। काफ़ी बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोग रिटायर हो कर उन पूंजीपतियो का झोला उठाते हैं, और उन के लिए तमाम तरह की व्यक्तिगत सेवा करते हैं, जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कितने ऐसे अफ़सर हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद बड़ी बड़ी कम्पनियों में सर्विस की है। ऐसे कोई आंकड़े मुझे मालूम नहीं हैं। मैंने तलाश करने की कोशिश की है। कुछ थोडे से नाम मुझे मालूम हुए हैं, जिन का मैं ने जिक्र किया है। मन्त्री महोदय को पता लगाना चाहिएं कि ऐसे कितने सरकारी अफसर हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद कम्पनियों में सर्विस की है, और उन को तरह तरह के फ़ायदे दिला रहे है, जेसे टैक्सों में छूट दिलाना और सेवाकाल मे जो लोग उन के सबार्डिनेट रह चुके हैं, उन से काम करवाना आदि।

यह बिल आईन्दा के लिए लाया गया है। लेकिन जो लोग इन कम्पनियो मे काम कर रहे हैं, और हर प्रकार से उन की मदद कर रहे है, उन को डीबार करने के लिए इस बिल मे कोई प्राविजन नही है। इस लिए यह आवश्यक है कि उन को रोकने, अथवा उन को प्राविडेंट फण्ड आदि के लाभ से वंचित करने, के लिए इस बिल मे प्रावधान किया जाये।

इस बिल मे कहा गया है कि जो लोग सरकार को प्रार्थनापत्र देंगे, और साठ दिन के अन्दर उन के केस का फैसला नही होगा, तो यह मान लिया जायेगा कि सरकार ने उन को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि बहुत से अफसर ऐसे होंगे, जो एप्लाई कर देंगे, और अगर साठ दिन तक उन का फ़ैसला नही हो पायेगा, तो मान लिया जायेगा कि सरकार ने उन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज हमारे दफ्तरों की यह हालत हैं कि चिट्ठियां महीनों तक पडी रहती हैं और उन का जवाब नहीं दिया जाता है। इस तरह ऐसे बहुत से लोग भी इजाजत पा जायेंगे, जिन को इस कानून के द्वारा वंचित किया गया है। इस लिए इस बिल में आवश्यक संशोधन किया जाना

चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग आवेदनपत्र दे दें, उस पर सरकार का निर्णय न हो और यह मान लिया जाये कि उन को स्वीकृति मिल गई है।

देश में ज्यादातर भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण यह है कि नियमों में ऐसे रास्ते छोड़ दिये जाते हैं, जिन से लोग लाभ उठाते हैं। इस बिल में बताया गया है कि परम शन किन हालात में नही दिया जायेगा। इस बारे में जा शर्तें दा ..ई हैं वे स फ . ही हैं। वे इतनी वे हैं कि उ , क, कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कहा गया है

"(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with Government;

(c) whether the officer while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as might afford a reasonable basis for the suspicion that such officer had shown favours to such employer."

अगर किसी तरह में यह मालूम हो कि उस अफसर ने अपनी नौकरी के दौरान उस फर्म को फेवर किया है, जिस में वह काम करना चाहता है, तो उस को इजाजत नहीं दी जायेगी। मैं समझता हूं कि इन को साबित करना बड़ा मुश्किल है। इस बारे में और रेस्ट्रिक्शन्ज लगानी चाहिए।

यह तो ठीक है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या करे। उस को वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट फर्मों में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो अच्छे अफ़सर हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी के जमाने में कोई आपत्तिजनक काम नहीं किया है, उन को ऐसी सहायता अथवा सुविधा दी जाये कि वे किसी कम्पनी में काम करने के लिए मजबूर न हों। सर्विस के दौरान उन का जो जीवन-स्तर बन जाता है, उस जीवन-स्तर को कायम रखने के लिये उनको प्राइवेट फर्मों में नौकरी करनी पड़ती है, और प्राइवेट फर्में अपना स्वार्थ-साधन करने के लिए इस तरह के लोगों को एम्पलाय करती हैं।

प्राविडेंट फण्ड का चक्कर काफ़ी दिनों से चल रहा है। हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि प्राविडेंट फण्ड के एम्पलाईज भी उद्योग में आते हैं। लेकिन उन को न मजदूर माना जाता है और न सरकारी नौकर माना जाता है। वे नारे बीच में लटके हुए हैं और आज तक इस बारे में निर्णय नहीं हो सका है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय बतायें कि उन के सामने क्या कठिनाई है। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट के फ़ैसले को आनर करना चाहिए और उन लोगों को उद्योग की सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कि आज तक उन को नहीं मिली हैं। प्राविडेंट फण्ड में दूसरी कठिनाई यह है, हम लोगों के पास तो रोज मामले आते हैं, चिट्ठी लिखते लिखते हम लोग थक जाते है और उन आफिसेज में एक एक केस दस दस साल से पड़े रहते हैं, कोई निर्णय नहीं होता है। खास तौर से जो गरीब मजदूर हैं जो नहीं जानते है उनके मामले में लगातार हम लोग पत्र लिखते लिखते हार जाते हैं कोई निर्णय नहीं हो पाता है। इसलिए यह भी प्राविजन होना चाहिए। यह तो खाली बड़े बडे क्लास वन आफिसरों पर लागू होता है। लेकिन मन्त्री जी को सोचना चाहिए कि प्राविडेंट फण्ड के लिए कोई कम्प्रीहेंसिव बिल वह लाएं ताकि इन समस्याओं का उस में समाधान हो।

13.00 hrs.

अन्त में मैं फिर कहूंगा कि जिन अफसरों ने काम कर लिया है फिलिप्स में, हिन्दुस्तान

[श्री सरजू पांडे]

लिवर में, भारत में और हिंदल में जो हिन्दुस्तान की सब के बड़ी लुटेरी कम्पनियां हैं उन के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। यह व्यवस्था आप करें या न करें लेकिन जो मन्त्रियों के लड़के नौकरियों में चले जाते हैं, इसीलिए उन को वह नौकरी में रखते हैं कि उन के लड़कों के प्रभाव से अपना काम कराएं, मन्त्री का उस में न भी दोष हो क्यों कि मेरा ही लड़का अगर जाकर कहे कि मैं फलां एम० पी० का लड़का हूं तो उस को प्रेफरेंस तो मिलेगी ही, तो उन कम्पनीज में यह भी बन्दिश लगानी चाहिए। या तो आप कोई ऐसा डायरेक्टिव बनाइए कि कोई भी आदमी किसी को इन्फ्लुएंस न कर सके, वह मन्त्री हो या साधारण आदमी हो, लेकिन मनुष्य है तो वह प्रभाव में आता है। क्या कोई भी आदमी ऐसा है जिस के ऊपर प्रभाव न पड़ता हो? तो अगर ह्यूमन वीकनेस है तो उस को भी दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तभी हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। वरना यही अफसर और यही बड़े बड़े प्रभावशाली लोग इन कम्पनियों में जाएंगे। मुझे तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं। मैं उन्हें कहना नहीं चाहता हूं क्यों मैं जानता हूं कि वह सच्ची हैं या झूठी हैं।

इस बिल का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी से जानना चाहता हूं वह स्पष्ट जवाब दें कि फेडरेशन एम्पलाइज के बारे में निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? दूसरे हिन्दुस्तान की बड़ी बड़ी कम्पनियों में जो बड़े बड़े अफसर जाकर काम कर रहे हैं उन को हटाने की क्या व्यवस्था वह करेंगे क्योंकि वे दस दस साल से काम कर रहे हैं और यह बिल एफेक्टिव होगा आज से तो पीछे से जो काम कर रहे हैं उन को कैसे रोका जायगा?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सभापति महोदय, इस बिल पर विचार करते वक्त मैं यह एक या दो बात कहना चाहता हूं। प्राविडेंट फण्ड का बकाया, बहुत बड़ी राशि का बकाया पड़ा हुआ है और तमाम तरह के कानूनों के बावजूद सरकार मजदूरों को उन के प्राविडेंट फण्ड का बकाया दिलवाने में समर्थ नहीं हो पाती है। मैं इस के सिलसिले में एक दो बात अपने सूबे की बतलाना चाहता हूं। एक तो प्राविडेंट फण्ड के जो रीजनल आफिसेज होते हैं वहां के बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं जिस की वजह से जिन कारखानों को, एस्टैब्लिशमेंट्स को कवर करना चाहिए उन को वह कवर नहीं करते। कारखानेदारों और मालिकों से पैसे ले कर उन को छोड़ देते है। इस के दर्जनों उदाहरण मैं बिहार के बारे में दे सकता हूं और समय समय पर मैं ने सरकार से इस सदन में प्रश्न के द्वारा जानने की कोशिश भी की। लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी गई। या तो बाद में हम सभा पटल पर रखेंगे इस नाम पर टाल दिया गया और इस तरह से मालिकों की मदद करने की कोशिश की गई या भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई। हमारे बिहार रीजन में एक ऐसे अधिकारी थे कुछ दिन पहले। उन्होंने शायद यह नियम बना रखा था कि वह कवरेज कम से कम करेंगे जिसका नुकसान वहां के कर्मचारियों को भी था क्यों कि अगर कवरेज कम होगा तो जाहिर बात है कि कर्मचारियों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और उस से भी महत्व की बात है कि लाखों लाख लोगों का, मजदूरों का अधिकार मारा गया। मैं यह कहूंगा कि प्राविडेंट फण्ड के बारे में जो भी नियम, कायदा बनाइए या फैसला लीजिए उस में मजदूरों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और यह आपकी पालिसी भी है....

एक माननीय सदस्य: इस में मजदूरों का सवाल नहीं है?

श्री रामावतार शास्त्री: वह ठीक है, इस तरह की बात होनी चाहिए। बहुत

सारे कार्यालयों में मजदूर भी गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, करते होंगे, हम उस के खिलाफ लड़ते हैं ।.. (व्यवधान)... बिल तो ठीक है। मैं बिल का समर्थन करता हूं लेकिन बिल का समर्थन करते हुए कुछ बातें कह रहा हूं जो हो रही हैं और जो नहीं होनी चाहिएं। बिल का समर्थन तो हम सब लोग करेंगे : यह आप दिलवाइए, पैसा बकाया नहीं रहना चाहिए। कहीं भ्रष्टाचार हो तो उस को रोका जाना चाहिए। और आगे और भी इस तरह की स्थिति या परिस्थिति आवे, बातें उठें तो उन के ऊपर सरकार को ध्यान दे कर उस का हल निकालना चाहिए। इन शब्दो के साथ मै इस बिल का समर्थन करता हूं। बिल ठीक है, लेकिन फिर मेरा सन्देह है जो और बिलों के सम्बन्ध में होता है कि इस को आप कार्यान्वित कर पाएंगे या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन पर जोर दिलवाइए। अगर इम्प्लीमेंट होगा तो जिन के लिए बिल बना रहे हैं उन को बहुत फायदा होगा और उस मे हम आप को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इन्ही शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): Mr. Chairman, this is a very simple and non-controversial Bill. What is applicable to pensioned Government servants is made applicable to the Government servants who would be earning provident fund. I do not think many points have been raised in the debate which need a reply. Shri Sarjoo Pandey made mention of some High Court decision. I could not really follow what it was. I will certainly look into it and if there is anything needed, it will be done.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): The question was whether the provident fund organisation should be treated as an industry and the opinion was that it is an industry.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I shall look into it. I would request the House to accept this Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Provident Funds Act, 1925, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Since there are no amendments, I will put all the clauses together. The question is:

"That clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.09 hrs.

MOTION RE: NEW PROGRAMME FOR ECONOMIC PROGRESS

MR. CHAIRMAN: We will now take up item No. 13.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): I beg to move:

"That this House takes note of the New Programme for Economic Progress announced by the Prime Minister on the 1st July, 1975 and laid on the Table of the House on the 28th July, 1975."